25/5/17 पत्रावली आज राजस्व कैम्प कोई ओगानजोगा पर पेश हुई वादी
अधिवक्ता व प्रतिवादीगण अनुपस्थित
प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया
जाकर शामिल फाईल कराया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)भीलवाडा

न्याय आपके द्वार राजस्व केम्प कोर्टः— भोपालगढ
पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—327 / 2012

उनवान

1. श्री देवा गाडरी पुत्र श्री रूपा गाडरी निवासी गाडरमाला तहसील व जिला भीलवडा।

—:वादीः—

बनाम

1. श्री सुखलाल पुत्र श्री कल्याणमल सुनार(स्वार्णकार) नि0 गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री महावीर कुमार पुत्र स्व.श्री भंवरलाल अजमेरा नि0 118 इन्द्रा मार्केट भीलवाडा(राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

—:प्रतिवादीगणः—

वाद बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89, 92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः—25.05.2017

पत्रावली आज राजस्व केम्प कोर्ट भोपालगढ पर पैश हुई। वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम भोपालगढ की आ.नं. 1077 रकबा 1—13 बीघा भूमी राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजी संख्या 1077 में से 10 बिस्वा भूमी को वादी ने जरिये इकरार दिनांक 25.02.1989 को प्रतिवादी संख्या 01 के पिता कल्याणमल सुनार के हक हिस्से को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है, तभी से आज तक वादी का वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमी का विक्रय ईकरार दिनांक 25.02.1989 के आधार पर राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण की कार्यवाही नही होने से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मौके से बेदखल करने पर आमादा है, तथा राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज होने के आधार पर उक्त भूमी को अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है, जिससे यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर घोषणानात्मक डिक्री जारी कराने की प्रार्थना की गई है।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की और से वकालतनामा दिनांक 26.12.2012 को प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रतिवादीगण की और से आज दिनांक तक जवाब प्रस्तुत नही किया गया, प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया जाता है।

वादीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 एंव सहपठित धारा 151 जा.दी. का दिनांक 10.08.2015 को पैश किया जिसमे वादी देवा गाडरी की मृत्यु दिनांक 10.03.2014 को होना अंकित किया है। इस प्रार्थना पत्र के साथ धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया है। जिसमे विलम्ब को कण्डोन किये जाने की प्रार्थना करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई है।न्याय की दृष्टि से उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 एंव सहपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में 10 रू0 के स्टाम्प पर विक्रय ईकरार रू0 10,000—00 प्रतिफल का दिनांक 25.02.1989 का अनरजिस्टर्ड संलग्न प्रस्तुत किया है, एंव ग्राम भोपालगढ के आ.नं. 1077 रकबा 1—13 बीघा भूमी की जमाबन्दी सम्वत् 2067—70 की प्रस्तुत की गई है। वादग्रस्त आराजीयात सं. 1077 संयुक्त खातेदारी की होकर सुखलाल पिता कल्याणमल सुनार के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। आ.नं. 1077 का विक्रय 10,000—00 रू0 के प्रतिफल पर दिनांक 25.02.1989 को सम्पादन हुआ है। जो अनरजिस्टर्ड है, उक्त दस्तावेज के आधार पर वादी को किसी प्रकार के हक एंव अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 आर.टी.ए. का अनरजिस्टर्ड दस्तावेज पर होने से स्वीकार योग्य नही ठहरता है। अतःएंव

आदेश

वादी का वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेज अनरजिस्टर्ड होने से सिद्ध नही होता है। अतः वाद पत्र खारीज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2017 राजस्व केंम्प कोर्ट भोपालगढ पर लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0)भीलवाडा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)भीलवाडा

राजस्व केम्प कोर्ट:– भोपालगढ
पीठासीन अधिकारी:–राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

उनवान

1. श्री देवा गाडरी पुत्र श्री रूपा गाडरी निवासी गाडरमाला तहसील व जिला भीलवडा।

–:वादी:–

बनाम

1. श्री सुखलाल पुत्र श्री कल्याणमल सुनार(स्वार्णकार) नि0 गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री महावीर कुमार पुत्र स्व.श्री भंवरलाल अजमेरा नि0 118 इन्द्रा मार्केट भीलवाडा(राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–:प्रतिवादीगण:–

वाद बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89, 92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 327 / 12
निर्णय दिनांक 25.05.2017

वादीगण की और से वादी अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी की और से प्रतिवादीगण उपस्थित में इस वाद के आज दिनांक 25.05.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पैश होने पर आदेश दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेज अनरजिस्टर्ड होने से सिद्ध नही होता है। अतः वाद पत्र खारीज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आज दिनांक 25.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर(फा0ट्रै)भीलवाडा
राजस्व केम्प कोर्ट:–भोपालगढ